

रामनवमी

खम्भा

2018

107 द. प्र. स. 0

मोहम्मद सरकार
वनाम
सुरेश पाठे कोठे

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

M-44/2018 आदेश पत्रक

24/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 44 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी रामिया के अप्राथमिकी संख्या :- 1/18

98
24/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~को मोहम्मद 2018~~

रामनवमी - 2018

यात्रा नोटा
पा. 3/18/अप. 3/18

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 107 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 28/3/18 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

24/3/18

119

119

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित / दिनांक
11/3/19 को एवं।

3/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित / दिनांक
25/03/19 को एवं।

3/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित / दिनांक
15/04/19 को एवं।

15/4/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित / दिनांक 23/4/19 को एवं।
इति समाप्त 2018 शाली 2019 समाप्त की
पुस्तक 15/4/19 की दिनांक 15/4/19

1
15.04.19